

माँब लचिगि पर राज्यों की शथिलि प्रतकिरयिा

प्रलिमिस् के लयि:

गौ संरक्षक, भीड़ हसिा, लचिगि, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडयिन वुमेन (NFIW), तहसीन पूनावाला बनाम भारत संघ मामला, 2018

मेन्स के लयि:

माँब लचिगि और धार्मकि कट्टरवाद

चर्चा में क्यों?

नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडयिन वुमेन (NFIW) ने [सर्वोच्च न्यायालय](#) में याचकिा दायर की है।

- सर्वोच्च न्यायालय ने गृह मंत्रालय और छह राज्य सरकारों (महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश और हरयिाणा) से गौ संरक्षकों द्वारा मुसलमानों की पीट-पीट कर हत्या और भीड़ हसिा के वरिद्ध कार्रवाई करने में नरिंतर वफिलता के लयि सपषटीकरण की मांग की है।

माँब लचिगि

- माँब लचिगि** व्यक्तियों के समूह द्वारा की गई सामूहकि हसिा है, जसिमें कसिी व्यक्तिके शरीर या संपत्तिपर हमले शामिल होते हैं, चाहे वह सार्वजनकि या व्यक्तगित हों।
 - ऐसे में भीड़ यह मानती है कि विह पीड़ति को गलत कार्य (जरूरी नहीं किवैध हो) करने के लयि दंडति कर रही है और कसिी कानून का पालन कयि बिना कथति आरोपी को दंडति करने हेतु कानून अपने हाथ में लेती है।

गौ-संरक्षक: गौ-रक्षा के नाम पर गौ-संरक्षक या भीड़ द्वारा हत्या धर्मनरिपेक्ष राष्ट्र के लयि एक गंभीर खतरा है, सरिफ गोमांस के संदेह पर लोगों की हत्या करना गौरक्षकों की असहषिणुता को प्रदर्शति करता है।

भारत में लचिगि से संबंधति आँकड़े:

भारत में गाय से संबंधति हसिा पर **इंडयिा स्पैड** नामक वेबसाइट द्वारा संकलति आँकड़े (वर्ष 2010-2017):

- वर्ष 2010 से वर्ष 2017 के बीच की अवधके दौरान गाय से संबंधति हसिा की 63 घटनाओं में कुल 28 लोग मारे गए।
 - इनमें से लगभग 97% हमले वर्ष 2014 के बाद हुए जो पछिले कुछ वर्षों में तेज़ वृद्धि दर्शाता है।
 - इन घटनाओं में मारे गए लगभग 86% लोग मुस्लिम थे, जसिसे पता चलता है कि एक वशिषिट धार्मकि समुदाय को नशिाना बनाया जा रहा था।

माँब लचिगि के कारण:

- संस्कृतिा पहचान को कथति खतरा:** जब भीड़ को लगता है कि व्यक्तियों या समूहों के कुछ कार्य या व्यवहार उनकी सांस्कृतिकि या धार्मकि पहचान के लयि खतरा है, तो वे लचिगि में शामिल हो जाते हैं।
 - उदाहरण के लयि:** अंतर-जातीय या अंतर-धार्मकि संबंध, कुछ खाद्य पदार्थों का सेवन या रीति-रिवाज़ जनिहें चुनौतीपूर्ण पारंपरकि मानदंडों के रूप में माना जाता है।
- अफवाहें और गलत सूचना:** माँब लचिगि की घटनाएँ अक्सर सोशल मीडयिा या अन्य चैनलों के माध्यम से फैली अफवाहों या गलत सूचनाओं के कारण होती हैं।

- **आर्थिक और सामाजिक तनाव:** भूमि विवाद, आर्थिक अक्सर और संसाधनों के लिये प्रतिस्पर्धा से संबंधित मुद्दे हसिक टकराव में बदल सकते हैं।
- **राजनीतिक हेर-फेर:** राजनीतिक हति और एजेंडे मॉब लचिगि की घटनाओं को बढावा दे सकते हैं।
- **जातीय या सांप्रदायिक वभिजन:** लंबे समय से चले आ रहे जातीय, धार्मिक या सांप्रदायिक वभिजन मॉब लचिगि में योगदान दे सकते हैं।
- **नैतिक सतर्कता:** व्यक्तिया समूह स्वयं-नयुक्त नैतिक नगिरानीकर्त्ताओं की भूमिका नभिा सकते हैं, जो हसिा के माध्यम से सामाजिक मानदंडों और मूल्यों की अपनी व्याख्या को लागू कर सकते हैं।

मॉब लचिगि से संबंधित मुद्दे:

- **मॉब लचिगि मानवीय गरभिा,** संवधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है और **मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा** का घोर उल्लंघन है।
- ऐसी घटनाएँ **समानता के अधिकार (अनुच्छेद 14)** और **भेदभाव के नषिध (अनुच्छेद 15)** का उल्लंघन करती हैं।
- देश के कानून में कही भी मॉब लचिगि का जकिर नहीं है। यद सीधे शब्दों में कहा जाए तो इसे हत्या की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता क्योंकि इसे **भारतीय दंड संहतिा** में शामिल नहीं किया गया है।

तहसीन पूनावाला मामले में सर्वोच्च न्यायालय की टपिपणी:

- जुलाई 2017 में **तहसीन एस पूनावाला बनाम UOI** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अपने नागरिकों के जीवन की रक्षा करना राज्य का "अलंघनीय कर्त्तव्य" था।
 - इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने **मॉब लचिगि को 'भीडतंत्र का भयावह कृत्य'** उचति ही कहा था।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दयि गए सात उपचारात्मक नरिदेश:

- **नामति नोडल अधिकारी की नयुक्तति:**
 - मॉब लचिगि और हसिा जैसे पूरवाग्रह से पूरेरति अपराधों को रोकने के उपाय करने के लिये एक नामति नोडल अधिकारी नयुक्त किया जाना चाहयि जो पुलसि अधीकषक के पद से नमिन सतर का न हो।
- **तत्काल FIR दर्ज कर नोडल अधिकारी को सूचति करना:**
 - यद स्थानीय पुलसि के संज्ञान में मॉब लचिगि या हसिा की कोई घटना आती है तो उन्हें तुरंत FIR दर्ज करनी चाहयि।
 - FIR दर्ज करने वाले थाना प्रभारी को घटना के बारे में ज़लि के नोडल अधिकारी को सूचति करना होगा।
- **जाँच की व्यक्तगित नगिरानी:**
 - नोडल अधिकारी को अपराध की जाँच की व्यक्तगित रूप से नगिरानी करनी चाहयि।
- **समय रहते चार्जशीट दाखलि करना:**
 - कानून के मुताबकि तय अवर्धा के भीतर जाँच और चार्जशीट दाखलि की जानी चाहयि।
- **पीडति मुआवज़ा योजना:**
 - पूरवाग्रह से पूरेरति हसिा के पीडतियों को मुआवज़ा देने के लिये एक योजना होनी चाहयि।
- **अनुपालन न करने की सथति में कार्यवाही:**
 - पुलसि अथवा ज़लिा प्रशासन के अधिकारी द्वारा न्यायालय के नरिदेशों का अनुपालन न करना जान-बूझकर की गई लापरवाही/कदाचार माना जाएगा और ऐसी सथति में वभिगीय कार्यवाही के अतरिकित छह महीने के भीतर उचति कार्रवाई करना अनविर्य है।
- **अधिकारियों के वरिद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई:**
 - राज्यों को उन अधिकारियों के खलिाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करना अनविर्य है जो पूरव जानकारी के बावजूद मॉब लचिगि की घटनाओं को रोकने में वफिल रहे हैं अथवा घटना के बाद अपराधी को पकड़ने तथा उसके खलिाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने में देरी करते हैं।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम एवं पहलें:

- **मॉब लचिगि के खलिाफ कानून:**
 - अभी तक मॉब लचिगि के खलिाफ कानून बनाने वाले केवल तीन राज्य; **मणपुरि, पश्चमि बंगाल और राजस्थान** हैं।
 - झारखंड वधिानसभा ने **भीड द्वारा की जाने वाली हसिा और मॉब लचिगि रोकथाम वधिेयक, 2021** को पारति कर दयिा है जसि हाल ही में राज्यपाल ने कुछ प्रवधानों पर पुनरवचिार के लिये लौटा दयिा था।
- **जागरूकता अभयिान:**
 - राँची पुलसि ने मॉब लचिगि को रोकने के लिये पोस्टर अभयिान के माध्यम से पूरे रांची ज़लि में जन जागरूकता अभयिान का आयोजन कयिा।
 - औरंगाबाद पुलसि ने मॉब लचिगि की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिये मराठवाड़ा के सभी आठ ज़लियों में जागरूकता अभयिान चलाया है।
- **पीडति मुआवज़ा योजना:**
 - गोवा सरकार ने **पीडति मुआवज़ा योजना** की घोषणा करते हुए कहा है कि अगर भीड द्वारा की गई हसिा की वजह से किसी व्यक्तिकी मृत्यु होती है, तो परिवार को 2 लाख रुपए की मुआवज़ा राश प्रदान की जाएगी।
- **सोशल मीडयिा अनुवीकषण:**
 - भारत के दक्षिणी शहर हैदराबाद में पुलसि सोशल मीडयिा अभयिान के माध्यम से हैशटैग **#HyderambaKillsRumors** का उपयोग करके भीड द्वारा होने वाली हसिा को रोकने का प्रयास कर रही है।

आगे की राह

- लचिगि और भीड़ हसिा के पीड़तियों को "न्यूनतम एक समान राशी" का भुगतान ।
- भारत जैसे लोकतांत्रिक समाज में लचिगि का कोई स्थान नहीं है । यह जरूरी है कभीड़ द्वारा की जाने वाली हसिा को जड़ से खत्म कयिा जाए ।
- सभी राज्यों और केंद्र को इस मामले पर व्यापक कानून लाने के लयिे तत्परता दखिाने की आवश्यकता है जैसा कबिणपुर, पश्चमि बंगाल और राजस्थान जैसे राज्यों द्वारा लाया गया है ।
- फर्जी खबरों और घृणास्पद भाषण/हेट स्पीच के प्रसार को रोकने के लयिे भी आवश्यक उपाय कयिा जाना जरूरी है ।

भारतीय महिला राष्ट्रीय महासंघ:

- भारतीय महिला राष्ट्रीय महासंघ (National Federation of Indian Women) भारत में एक महिला संगठन है, यह भारतीय कम्युनसि्ट पार्टी की महिला शाखा के रूप में कार्य करता है ।
 - इसकी स्थापना 4 जून, 1954 को अरुणा आसफ अली सहति महिला आत्म रक्षा समतिा के नेताओं द्वारा की गई थी ।

स्रोत: द हद्रि

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/states-lax-response-to-mob-lynching>

